राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 10.08.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 10.08.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. विभाग की योजनाओं में 90 प्रतिशत प्रगति अर्जित करने के लिए निम्न कार्यवाही की जानी हैः–
   1. राज्य स्तर पर योजना प्रभारी की बैठक प्रत्येक माह के तृतीय सोमवार को रखी जाए।
   2. सबसे कम प्रगति वाले जिलों के 4 सीईओ की बैठक सचिव महोदय के स्तर पर दि. 17.8.2015 को रखी गयी है।
   3. योजना प्रभारियों द्वारा कम प्रगति तथा समय पर स्वीकृतियॉ जारी नहीं करने के संबंध में 3 मेमो जारी किये जायेगें और 3 मेमो उपरान्त 17 सीसी के नोटिस देने की कार्यवाही की जायेगी।
   4. कम प्रगति तथा समय पर स्वीकृतियॉ जारी नहीं करने के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखवाया जाऐगा।
   5. विभाग की विभिन्न योजनाओं की आईडब्ल्यूएमएस वैबसाईट के संचालन, सुधार एवं अन्य डवलपमेंट के लिए प्रत्येक माह के 15 दिवस में एक बैठक एनआईसी के प्रतिनिधि एवं अन्य लोगों के साथ की जायेगी।

   (समस्त योजना प्रभारी)
2. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में पत्रावली संयुक्त सचिव (प्रशा.) को निर्णय हेतु भिजवादी गयी है।

   (योजना प्रभारी)
3. इन्दिरा आवास योजना की स्वीकृति आगामी एक माह में पूर्ण करली जावे। योजना में कम प्रगति वाले 79 पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को चार्जसीट जारी, जिसकी प्रगति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

   (योजना प्रभारी)
4. उदयपुर संभाग में आवास योजना की प्रगति की समीक्षा अगस्त माह से प्रारम्भ करने हेतु तथा उदयपुर संभाग की विडियों कॉन्फ्रेंस करायी जाने के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता आईएवाई को निर्देश दिये गये।

   (योजना प्रभारी)
5. सीएसआर के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में उद्योग विभाग से परामर्श कर प्रस्ताव भिजवाने तथा आयुक्त, उद्योग के प्रतिनिधि के साथ बैठक रखने के निर्देश दिये गये।

   (योजना प्रभारी)
6. आवास योजना की प्रथम किश्त 31 अगस्त 2015 तक तथा द्वितीय किश्त 31 दिसम्बर 2015 तक जारी की जानी है।

   (योजना प्रभारी)